

26/9/24

पत्रावली पेश हुई। मूल वाद में  
 "पुंढि अदम चरकी एवं अदम  
 हाजिर" में खारिज होने से  
 यह आविदन-पत्र पोषणीय  
 नहीं होने से खारिज किया  
 जाता है। प्रकरण में जारी अस्पष्ट  
 निषेधाज्ञा इसी स्तर से समाप्त  
 की जाकर पत्रावली कुसल  
 शुमार होकर दारिखल दफ्तर है।  
 एवं नम्बर से कम है।

26/9/24

सहायक कलेक्टर  
 (SDO), वाइभर

